

बिहार सरकार  
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक:- मु०अ०(नि०)मु०मं०सेतु-02/2025 -423 /पटना, दिनांक- 29/01/2025

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार सिंह, मा० प्र० से०  
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)  
बिहार, पटना।

विषय:- मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना शीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-103, उप शीर्ष-0122, विपत्र कोड-37-4515-00-103-0122-53-01-V के अन्तर्गत बिहार राज्य के पटना एवं गया जिला में (परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न सूची के अनुरूप) कुल 02 (दो) पुलों के निर्माण योजनाओं पर योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना शीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-103, उप शीर्ष-0122, विपत्र कोड-37-4515-00-103-0122-53-01-V के के अन्तर्गत बिहार राज्य के पटना एवं गया जिला में (परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न सूची के अनुरूप) कुल 02 (दो) पुलों के निर्माण योजनाओं जिसकी कुल लम्बाई 79.010 मी० एवं निर्माण की कुल राशि ₹ 921.803 करोड़ (नौ करोड़ एककीस लाख अस्सी हजार तीन सौ रुपया मात्र) है- हेतु योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

परिशिष्ट-1

क्र० सं०	योजना का नाम	पुल की लम्बाई (मी० में)	निर्माण कार्य की राशि (लाख में)	अनुसूचन मद की राशि (लाख में)	कटिजेंसी की राशि (लाख में)	कुल राशि (लाख में)
1	पटना जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, मसौड़ी के अधीन पुनपुन प्रखंड के Construction of HL RCC Bridge over Punpun Dhanaura block ke RWD road Maranchi Mahmadpur ke bich Morhar nadi par purv se bane Jarjar pul ke sthan par HL Bridge ka Nirman" पुल निर्माण कार्य	33.64	423.910	0.620	13.800	438.330
2	गया जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, ईमामगंज के अधीन बाँके बाजार प्रखंड के "Construction of High Level R.C.C. Bridge over Majhiyawan River in up stream of Sondaha Reservoir in gram Panchayat Lutua" पुल निर्माण कार्य	45.37	465.233	9.533	8.707	483.473
	कुल योग	79.010				921.803


- इन योजनाओं को दो वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
- संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता इन योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।

५

3. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।
4. इन योजनाओं का व्यय मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना शीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, विपत्र कोड-37-4515-00-103-0122-53-01-V के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
5. इन योजनाओं के निर्माण की राशि, कटिजेंसी की राशि एवं भूमि अधिग्रहण की राशि का व्यय योजना शीर्ष 4515 एवं अनुरक्षण की राशि का व्यय योजना शीर्ष 3054 से भारित होगा।
6. मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना शीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, विपत्र कोड-37-4515-00-103-0122-53-001-V के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 05.00 करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में लोक वित्त समिति से दिनांक 22.01.2025 को इस योजना हेतु कुल 3000.00 करोड़ रुपये का Bank Of Sanction (BOS) प्राप्त है।
7. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए संबंधित कार्य अंचल के अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता-1 एवं 2 के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
8. संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है।
9. उक्त दोनों योजना माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रगति यात्रा से संबंधित है।
10. इन योजनाओं की योजनावार स्वीकृति समीक्षा प्राधिकार विभागीय स्थायी वित्त समिति के अनुशंसोपरांत अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा संचिका संख्या मु०अ०(नि०)मु०मं०सेतु-02/2025 के पृष्ठ संख्या-27/टि० पर प्राप्त है।
11. यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या मु०अ०(नि०)मु०मं०सेतु-02/2025 के पृष्ठ संख्या-22/टि० पर दिनांक 28.01.2025 को प्राप्त है।
12. ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाएगी।
13. संबंधित कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित करा कर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे।
14. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक 03.12.2024 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाएगी।
15. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
16. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
17. संबंधित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक 03.12.2024 की कडिका 17 के आलोक में स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी।

18. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जाएगा एवं कार्यों को ससमय तथा गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में सभी निरीक्षी प्राधिकारी भी उत्तरदायी माने जाएंगे।
19. इन योजनाओं हेतु वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक 03.12.2024 के कंडिका 10 के आलोक में राशि की विमुक्ति उदव्यय/बजट उपबंध के पश्चात् ही की जा सकेगी।


विश्वासभाजन

  
(उज्ज्वल कुमार सिंह)  
विशेष सचिव

ज्ञापांक:- मु०अ०(नि०)मु०मं०सेतु-02/2025 - 423 /पटना, दिनांक- 29/01/2025  
प्रतिलिपि:-महालेखाकार(लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक:- मु०अ०(नि०)मु०मं०सेतु-02/2025 - 423 /पटना, दिनांक- 29/01/2025  
प्रतिलिपि:- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक:- मु०अ०(नि०)मु०मं०सेतु-02/2025 - 423 /पटना, दिनांक- 29/01/2025  
प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग(आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता-1 एवं 2 ग्रामीण कार्य विभाग, पटना एवं गया प्रक्षेत्र/मुख्य अभियंता (निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण), ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/आई०टी० नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
विशेष सचिव  
११/१५